



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०)

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com ebsite:www.sudaup.org

पत्रांक ५१८/२४१/NULM/तीन/2001/EST&P-NSDC-2017-18

दिनांक १४-३-१८

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण,

जनपद— लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, गोरखपुर, बरेली, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या (फैजाबाद), मुजफ्फरनगर, मऊ, बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, जालौन, अमरोहा, जौनपुर, शाहजहांपुर एवं सम्मल उ०प्र०।

2. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर / परियोजना निदेशक,

शहर मिशन प्रबन्धन इकाई / जिला नगरीय विकास अभिकरण,

जनपद— लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, गोरखपुर, बरेली, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, जौनपुर, शाहजहांपुर एवं सम्मल उ०प्र०।

विषय:- DAY-NULM के घटक SUSV के अन्तर्गत सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का क्रॉस वेरिफिकेशन किये जाने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV) के अन्तर्गत उपरोक्त सभी शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे किया गया है।

मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० सरकार द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों को दिनांक 27.01.2018 को समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि “जिन शहरों में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन शहरों में किये गये शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे का क्रॉस वरिफिकेशन, पथ विक्रेताओं द्वारा विक्रय कर रहे स्थल सहित फोटोग्राफी के माध्यम से कराया जाये, ताकि पात्र शहरी पथ विक्रेता ही लाभान्वित हो सकें एवं नये आवंटित स्थल पर शिफ्ट करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि पुराना स्थल पथ विक्रेताओं के द्वारा खाली कर दिया गया है” (सुलभ सन्दर्भ हेतु बैठक का कार्यवृत्त संलग्न)।

उपरोक्त सभी शहरों से अपेक्षा है कि मा० मंत्री जी द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के क्रम में संबंधित नगर निकायों से समन्वय करते हुए सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के क्रॉस वेरिफिकेशन के संबंध में समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये और राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शहरी पथ विक्रेता प्लान (CSV) एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) में उपरोक्त कार्यवाही को सम्मिलित किया जाये।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता एवं पुर्नस्थापन का कार्य सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है, जिसकी निस्तर योजना मा० मंत्री जी एवं शासन स्तर से की जा रही है। प्रकरण

की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त समस्त कार्यवाही समयबद्ध तरीके से सम्पादित की जाये।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

०/८

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय नगर निकाय, उ०प्र०।
3. उपरोक्त शहरों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, उ०प्र०।
4. उपरोक्त शहरों के जनपदों के परियोजना अधिकारी, ढूड़ा को इस आशय से कि संबंधित नगर निकायों एवं संबंधित एजेन्सी से समन्वय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
5. संबंधित शहरों में कार्य कर रही एजेन्सी।
6. वेब मास्टर, सूडा, को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

०/८

मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पं० दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY & NULM) के समस्त घटकों की दिनांक 27.01.2018 की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY & NULM) के समस्त घटकों की दिनांक 27.01.2018 को समीक्षा की गयी। इस समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, मिशन निदेशक / निदेशक, सूडा, उ०प्र०।
3. डा० वी०के० सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ०प्र०।
4. श्री उदय प्रताप सिंह, एन०य०एल०एम० प्रभारी, एस०य०एल०एम०-सूडा, उ०प्र०।
5. श्री ओ०के० सिंह, राज्य मिशन प्रबन्धक, एस०य०एल०एम०-सूडा, उ०प्र०।
6. श्री मौ० तैय्यब, राज्य मिशन प्रबन्धक, एस०य०एल०एम०-सूडा, उ०प्र०।
7. डा० कमल कुमार सिंह, राज्य मिशन प्रबन्धक, एस०य०एल०एम०-सूडा, उ०प्र०।
8. श्री योगेश आदित्य, सहा० परियोजना अधिकारी, एस०य०एल०एम०-सूडा, उ०प्र०।

उक्त समीक्षा बैठक में मा० मंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों एवं एन०य०एल०एम० के अन्तर्गत शहरी गरीबों को लाभ पहुँचाने हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यवाही किये जाने हेतु निम्न निर्देश दिए गये:-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रत्येक दशा में 01 फरवरी, 2018 तक 30 हजार लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि रु० 50,000/- अवमुक्त कर दी जायें।
2. 15 फरवरी, 2018 तक समस्त 30 हजार लाभार्थियों के आवासों का कार्य प्लिन्थ लेवल तक पूर्ण हो जायें।
3. 15 से 20 फरवरी, 2018 तक उपलब्ध बजट के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायें।
4. 25 फरवरी, 2018 तक उक्त समस्त लाभार्थियों का आवास लिन्टल लेवल तक पूर्ण हो जायें।
5. उक्त समस्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए एवं 31 मार्च, 2018 तक 1 लाख आवासों की जियो टेगिंग कर दी जायें।
6. शहरी गरीबों हेतु मेडिकल कालेजों में बनाये जा रहे आश्रय गृहों में शहरी बेघरों (मजदूर, रिक्षा चालक, ढेले वाले आदि) को आश्रय समुचित ढंग से दिलाए जाने की व्यवस्था की जाए।

7. जिन शहरों में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन शहरों में किये गये शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे का क्रॉस वेरीफिकेशन, पथ विक्रेताओं द्वारा विक्रय कर रहे स्थल सहित फोटोग्राफी के माध्यम से कराया जाये, ताकि पात्र शहरी पथ विक्रेता ही लाभान्वित हो सकें एवं नये आवंटित स्थल पर शिफ्ट करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराना स्थल पथ विक्रेताओं के द्वारा खाली कर दिया गया है।
8. चयनित समस्त शहरों के पथ विक्रेताओं का सर्वे सुनियोजित एवं व्यवस्थित रूप से किया जाए। प्रथम चरण के शहरों में मॉडल वेडिंग जौन यथाशीघ्र विकसित किया जाए।
9. गठित किये गये स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर खपत होने वाले उत्पादों का उत्पादन कराये जाने हेतु ऋण के माध्यम से रोजगार परक आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा दिये जाने पर विशेष बल दिया जाये।
10. स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र गरीब लाभार्थियों का सही तरीके से चयन किया जाए।
11. अच्छा कार्य करने वाले परियोजना अधिकारियों/अन्य कर्मियों को पुरस्कृत किया जाए एवं लापरवाह परियोजना अधिकारियों को नियमानुसार दण्डित किया जायें। उक्त अधिकारियों को पुरस्कार वितरण 2 अक्टूबर, 2018 को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक / निदेशक
सूडा

पत्रांक—4222/01/तीस/कार्यक्रम/2017–18

दिनांक—3/ जनवरी, 2018

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, संसदीय कार्य/नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन को अवलोकनार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
4. समस्त नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, सी०एम०एम०य००, उ०प्र०।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा० परि० अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
6. सहायक परियोजना अधिकारी/वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक / निदेशक
सूडा